132

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, (म0प्र0) R. 5257-दो/15

तुलसीदास ब्राम्हण पिता स्व. रामदुलारे ब्राम्हण, निवासी ग्राम–बाघड़ (धवैया), तहसील–रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)

———पुरीक्षणकर्ता

श्री राकेश तिवारी एड. द्वारा पेश 26.12.15

बनाम्

1. कौशल चर्मकार तनय स्व. लक्ष्मण चर्मकार
2. आमऔतार चर्मकार तनय स्व. लक्ष्मण चर्मकार
3. कुशल चर्मकार तनय स्व. लक्ष्मण चर्मकार
4. महेश चर्मकार तनय स्व. लक्ष्मण चर्मकार
5. केमला चर्मकार तनय स्व. लक्ष्मण चर्मकार
6. सुरेश चर्मकार तनय स्व. लक्ष्मण चर्मकार

सभी निवासी ग्राम–बाघड़ (धवैया), तहसील–रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)

————गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्र. 421/निगरानी/2008–09 आदेश दिनांक 26.10.2015.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 5257 -II/ आदेश पृष्ठ भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5227–दो/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15 – 5–2017	आवेदक अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 421/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 26–10–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार रामपुर नैकनि के समक्ष ग्राम बाघड़ धवैया की आराजीयों का बन्दोबस्त से निर्मित नवीन आराजी के प्लाट सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन एवं मौके से स्थल निरीक्षकण किया तथा नवीन व पुराने नक्शे का मिलान करने के उपरांत तहसीलदर ने अभिलेख सुधार का प्रस्ताव दिया दिया उसमें कोई त्रुटि नहीं होने से कलेक्टर ने आवेदक की निगरानी को खारिज किया है। कलेक्टर द्वारा विस्तार से आदेश पारित कर निष्कर्ष निकाला है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	